(1)

63

258

न्यायालय श्रीमान् सदस्य महोदय मध्यप्रदेश राजस्व मण्डल ग्वालियर कैम्प कोर्ट रीवा (म0प्र0)

Rs. 20/-

534
13.9.13

श्रीमती पद्मा सिंह पत्नी बालकृष्ण सिंह निवासी ग्राम/न रीवा मकान नम्बर-15/1094 तहसील-हुजूर, जिला-रीवा म0प्र0

—आवेदिका /निगरानीकर्ता

R-4164-III/13

बनाम्

1- बैजनाथ तिवारी तनय भागवत प्रसाद तिवारी

2- भागवत प्रसाद तिवारी तनय विशेष राम तिवारी

दोनो निवासी ग्राम-कोष्टा, तहसील-रायपुर कर्चु0, जिला-रीवा म0प्र0

—— **अनावेदकगण**

श्रीरामानंद मिश्रा (प्रस्तुत)

13.9.13

क्लार्क आफ कोर्ट
मण्डल म0प्र0 ग्वालियर
(कैम्प कोर्ट) रीवा

निगरानी विरुद्ध निर्णय व आदेश अपर कलेक्टर साहब रीवा द्वारा प्रकरण कमांक 243/अ-6/निगरानी/11-12 <u>में पारित आदेश दिनांक 22-08-13</u> निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0प्र0 <u>भू-राजस्व संहिता सन् 1959 ई0</u>

<u>**मान्यवर**</u>

<u>**निगरानी प्रकरण के आधार निम्नलिखित है:-**</u>

1- यह कि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय व आदेश विधि, प्रकिया एवं प्रकरण में आये तथ्यों एवं म0प्र0 भू-राजस्व संहिता के प्रावधानों के विपरीत होने से स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

2- यह कि भूमि नम्बर-1082 रकवा 0.081हे0 स्थित ग्राम-कोष्टा, तहसील-रायपुर कर्चु0, के भूमिस्वामी अनावेदक कमांक-2 भागवत प्रसाद थे, उक्त भूमि सहित 10 किता भूमियां उन्हें पारिवारिक आपसी हिस्साबांट में प्राप्त हुई थी। अनावेदक कमांक-2 ने उक्त भूमि नम्बर-1082/2 का अंश

(53/13)

R-416

2 क- बैजनाथ तिवारी
ख- अनंतराम तिवारी
ग- गोविन्द लाल तिवारी
घ- अवधशरण तिवारी

} सभी के पिता स्व० भगवत प्रसाद तिवारी
सभी तिवारी ग्राम - मझला पो० [illegible]
जिला रीवा (म०प्र०)

— आवेदकगण

नोट - माननीय न्यायालय के आदेशानुसार आवेदक 2 का
नाम मारकर उसके उत्तराधिकारियों का नाम
जोड़ा गया।

M

XXXIX(a)-BR(H)-11

(3)

(63)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

प्रकरण क्रमांक R4164-III/13 जिला–रीवा

श्रीमती पदमा सिंह/ बैजनाथ तिवारी

(1)	(2)	(3)
05/8/19	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री रामनरेश मिश्रा सोंधिया उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अपर कलेक्टर, जिला रीवा के प्रकरण क्रमांक 243/अ–6/निगरानी/2011–12 में पारित आदेश दिनांक 22.08.2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत कलेक्टर द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध सुनवाई आयुक्त द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु आयुक्त रीवा संभाग रीवा को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 24.10.19 को आयुक्त रीवा संभाग रीवा के समक्ष उपस्थित हो। M (महेशचन्द्र चौधरी) सदस्य	